राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, **फैक्स** 0141–2742309, **ई–मेल**:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– प.4(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे–III/369 **दिनांक :–** 30.05.2022

आदेश संख्याः– 591/2022-23

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ. 14(88) एफ. डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा एवं अन्य समान ग्रेड–पे/लेवल के पद पर 09 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण–पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे–मैट्रिक्स के लेवल एल–11 में स्वीकृत की जाती है।

क.सं	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं./लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान ग्रेड पे/लेवल में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	प्रथम ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रेणुका स्वामी	1919/2013 (11271)	30.11.2012	30.11.2021	श्रीमती रेणुका स्वामी द्वारा 30.11.2012 को शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक, के पद पर कार्यग्रहण किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 04.07.2017 को मध्यान्ह् पूर्व कार्यमुक्त होकर दिनांक 04.07.2017 को मध्यान्ह् पश्चात् कनि. लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किया गया। (श्रीमती रेणुका स्वामी की तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं कनि. लेखाकार के पद पर निरंतर 09 वर्ष की संतोषजनक सेवा होने एवं दोनों पदों का ग्रेड–पे/लेवल समान होने के कारण प्रथम ए.सी.पी. देय।)

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षो से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– प.4(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे–III/369 **दिनांक :–** 30.05.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–III)

(G:\Raj 2latter.docx431